राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-mail- dlbrajasthan@gmail.com, Fax No:- 0141-2222403, Tel No:- 2222403, 2226722

क्रमांक :– F.59 DLB/STP/Housing for all (01)/14/1561 दिनांक :–25-04-2017

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
नगर विकास न्यास....समस्त.........

आयुक्त,
नगर परिषद ,
....समस्त..........

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका
....समस्त..........

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों हेतु जिनके पास स्थानीय निकाय की योजनाओं में आवंटित भूखण्ड़ उपलब्ध है अथवा अन्य पटट्ाशुदा भूखण्ड है, उन्हें केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधान **''लाभार्थि आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान'' (Beneficiary Led Individusal House Construction)''** के तहत नया आवास निर्माण तथा निर्माण अभिवृद्धि हेतु राशि रू. 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बाबत् दिशानिर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

धन्यवाद्

निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान सरकार

क्रमांक:–F.59 DLB/STP/Housing for all (01)/14/1562-64 दिनांक:–25-04-2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

25/04/2017
निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग
वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

DEEPAK VIJAYVARGIYA

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए (Beneficiary led Individusal House Construction)" आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रिय अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निकायों हेतु दिशानिर्देश।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना **"सभी के लिए आवास–2022 (अरबन)"** लागू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को नया आवास क्रय करने, स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण करने तथा वर्तमान आवास में वृद्धि किये जाने के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसकी क्रियान्विति राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS)के वे परिवार, जिनके पास पट्टेशुदा भूमि उपलब्ध है तथा उनको स्वयं द्वारा 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का निर्माण कराये जाने पर राशि रू. 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इस हेतु सभी निकायों को दिये जाने वाले दिशानिर्देशों का प्रारूप संलग्न है।

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक) के परिवार, जिनके पास न्यास द्वारा अवांटित भूखण्ड अथवा अन्य पटट्ाशुदा भूखण्ड उपलब्ध है, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नया आवास निर्माण अथवा निर्माण अभिवृद्धि हेतू राशि रू. 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदन पत्र "**क**" प्रारूप संलग्न है। आवेदक को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगें।

    (i) आय प्रमाण पत्र।

    (ii) आवंटित भूखण्ड पटट्ा।

    (iii) योजना का अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भूखण्ड स्थित हो।

    (iv) आवेदित भूखण्ड के भवन मानचित्र (टाईप डिजाईन भी मान्य) एवं तकमीना।

2. निकाय स्तर पर भूखण्ड/आवास के स्वामित्व की जॉच सुनिश्चित् की जाये तथा लाभार्थियों की अर्हताओं की जॉच कर, यह सुनिश्चित् किया जावें कि प्रस्तावित भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व का है।

3. आवेदक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का है तथा पूर्व में आवेदक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि/ऋण अनुदान प्राप्त नही किया गया है।

4. नये निर्माण हेतु कम से कम 30 वर्ग मीटर कॉर्पेट एरिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
5. आवास के निर्माण अभिवृद्धि हेतु वर्तमान में निर्माण 21 वर्ग मीटर से कम होने व अभिवृद्धि 30 वर्ग मीटर तक के लिए ही अनुदान देय है।
6. इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किये गये आवास, परिवार के महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए
7. केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।
8. प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति भू–चिह्नित (जियो–टैग्ड) की जाकर समस्त जानकारी MIS पर डालने के पश्चात् ही केन्द्र सरकार द्वारा अगली किश्त जारी की जायेगी।
9. अन्तिम किश्त निर्माण पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जायेगी। अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थी को आवेदन करना होगा।
10. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त सबंधित निकाय/न्यास द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान राशि प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना की अनूसूची – 7 सी (प्रारूप संलग्न) में प्रस्ताव राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी (रूडसिको) को प्रेषित किये जायेगें।
11. राज्यस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रिय सैक्संनिग एवं मॉनेटरिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगें।
12. अनुमोदन पश्चात् अनुदान राशि राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थि के खाता में 3 या 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।

*****

प्रारूप–I

प्रधानमंत्री आवास योजना

(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना)

अनुदान हेतु आवेदन – पत्र

नगर निगम / परिषद / पालिका : .... वार्ड संख्या : ....
शहर : ....
जिला : ....

1. आवेदक का नाम श्री / श्रीमती / सुश्री : ....
2. पिता / पति का नाम श्री : .... आयु : ....
3. जाति (सामान्य / एस.सी / एस.टी. / ओ.बी.सी. / अल्पसंख्यक / अन्य) : ....
4. पूर्ण पता :–
   (i) वर्तमान पता : ....
   (ii) स्थायी पता : ....
5. भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण / अभिवृद्धि प्रस्तावित है :–
   (i) भूखण्ड संख्या, स्कीम का नाम, भूखण्ड कहां स्थित है : ....
   (ii) भूखण्ड का माप / क्षेत्रफल : ....
   (iii) भूखण्ड रिक्त है (हॉ या नहीं) : ....
   (iv) यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित है तो निर्मित कुल क्षेत्रफल : ....
   (a) प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : ....
   (b) द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : ....
   (v) भूखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है (हॉ या नहीं) : ....
   (पट्टे की प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय : ....
   (स्व घोषणा पत्र संलग्न करें)
7. आवेदक का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें) : ....
8. आवेदक का स्थायी फोन / मोबाईल नं. : ....
9. अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण / आवास वृद्धि) : ....
10. क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है : (हॉ या नहीं) : ....
    (यदि हॉ तो विवरण संलग्न करें)
11. प्रस्तावित निर्माण विवरण :–
    (i) नवीन निर्माण क्षेत्रफल : .... वर्गफुट
    (ii) वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल) : .... वर्गफुट
    (iii) प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल की अनुमानित लागत : .... रूपये
12. मकान संख्या .... वर्ग ....
13. आधार नम्बर : ....
14. प्रार्थी का दूरभाष नं. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure 7C
(Para 14.5 of the Guidelines)

Format for Projects under Beneficiary led Construction or Enhancement

1	Name of the State	:							
2	Name of the City	:							
3	Project Name	:							
4	Project Code:*	:							
5	State Level Nodal Agency	:							
6	Implementing Agency/ ULB	:							
7	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC)	:							
8	Project Cost (Rs. in Lakhs)	:							
9	No. of beneficiaries covered in the project	:	Gen	SC	ST	OBC	Total	Minority	
10	(i) No. of Beneficiaries (New Construction)	:							
	(ii) No. of Beneficiaries (Enhancement)								
11	Whether beneficiary have been selected as per PMAY guidelines? (Yes/No)	:							
12	Whether it has been ensured that selected beneficiaries have rightful ownership of the land	:							
13	Whether building plan for all houses have been approved	:							
14	i) GoI grant required (Rs. 1.5 lakh per eligible beneficiary) (Rs. in Lakhs)	:							
	ii) State grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iii) ULB grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iv) Beneficiary Share (Rs. in Lakhs)	:							
	v) Total (Rs. in Lakhs)	:							
15	Whether technical specification/ design for housing have been ensured as per Indian Standards/NBC/ State norms?	:							
16	Whether it has been ensured that balance cost of construction is tied up with State grant, ULB grant & beneficiary share?	:							
17	Whether trunk and line infrastructure is existing or being provisioned	:							
	i) Water Supply (Yes/No)								
	ii) Sewerage (Yes/No)								
	iii) Road (Yes/No)								
	iv) Storm water Drain (Yes/No)								
	v) External Electrification (Yes/No)								
	vi) Solid Waste management (Yes/No)								
	vii) Any Other, specify								
	viii) In case, any infrastructure has not been proposed, reasons thereof								
18	Whether disaster (earthquake, flood, cyclone, landslide etc.) resistant features have been adopted in concept, design and implementation?	:							
19	Whether Demand Survey Completed for entire city?	:							
20	Whether City-wide integrated project have been formulated? If not, reasons thereof.	:							
21	Whether validation with SECC data for housing conditions conducted?	:							

22	Whether Direct Benefit Transfer (DBT) of fund to individual bank account of beneficiary ensured in the project?		
23	Whether there is provision in DPR for tracking/ monitoring the progress of individual houses through geo-tagged photographs		
24	Whether any innovative/cost effective/ Green technology adopted in the project	:	
25	Comments of SLAC after techno economic appraisal of DPR	:	
26	Brief of project including any other information ULB/ State would like to furnish	:	

*State will give code number to each project sanctioned under PMAY-HFA(U) as 'ABCDEFGHIJKLM' (Where, 'AB' is State Code as per census, 'CDEFGH' is City Code as per census, 'IJ' is running number of project of the city and 'K' is project component code i.e. 'K' will be 1 - for In-situ slum development, 2- for Relocation, 3 - for AHP and 4 - for beneficiary led Construction or enhancement). 'L' will be N-for New, R - for Revised. 'M' will be running number which will be 0 for new and 1 and so on for revisions

It is hereby confirmed that State/UT and ULB have checked all the beneficiaries as per guidelines of PMAY-HFA(U). It is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) component of the Mission

Signature
(State Level Nodal Officer)

Signature
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

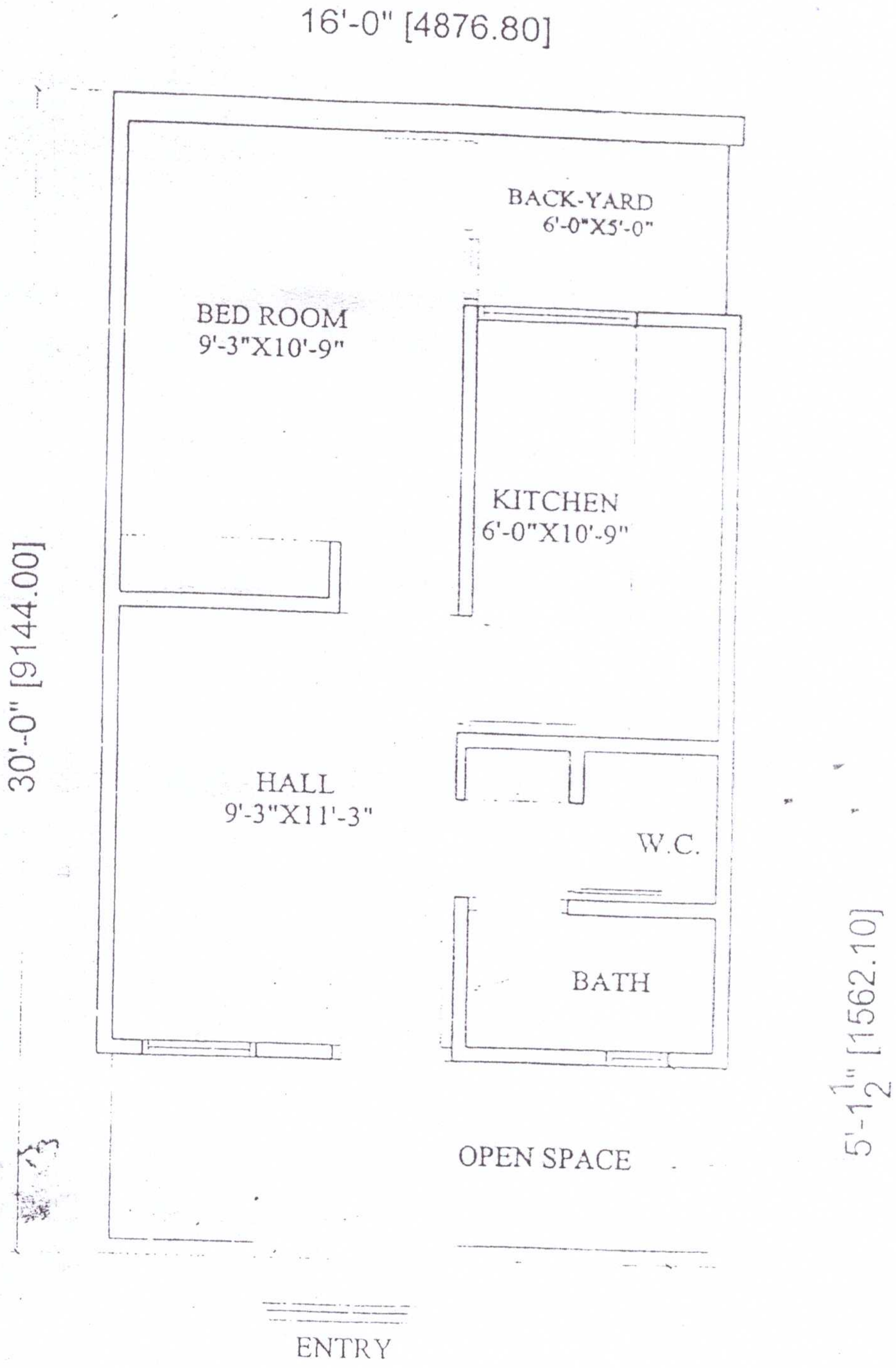

TYPICAL LAYOUT OF "EWS" UNIT

(Under BLIC vertical of PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए (Beneficiary led Individusal House Construction)'' आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रिय अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निकायों हेतु दिशानिर्देश।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना **''सभी के लिए आवास–2022 (अरबन)''** लागू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को नया आवास क्रय करने, स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण करने तथा वर्तमान आवास में वृद्धि किये जाने के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसकी क्रियान्विति राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS)के वे परिवार, जिनके पास पट्टेशुदा भूमि उपलब्ध है तथा उनको स्वयं द्वारा 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का निर्माण कराये जाने पर राशि रू. 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इस हेतु सभी निकायों को दिये जाने वाले दिशानिर्देशों का प्रारूप संलग्न है।

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक) के परिवार, जिनके पास न्यास द्वारा अवांटित भूखण्ड अथवा अन्य पट्टाशुदा भूखण्ड उपलब्ध है, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नया आवास निर्माण अथवा निर्माण अभिवृद्धि हेतू राशि रू. 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदन पत्र ''**क**'' प्रारूप संलग्न है। आवेदक को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगें।
   - (i) आय प्रमाण पत्र।
   - (ii) आवंटित भूखण्ड पटट्ा।
   - (iii) योजना का अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भूखण्ड स्थित हो।
   - (iv) आवेदित भूखण्ड के भवन मानचित्र (टाईप डिजाईन भी मान्य) एवं तकमीना।
2. निकाय स्तर पर भूखण्ड/आवास के स्वामित्व की जॉच सुनिश्चित् की जाये तथा लाभार्थियों की अर्हताओं की जॉच कर, यह सुनिश्चित् किया जावें कि प्रस्तावित भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व का है।
3. आवेदक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का है तथा पूर्व में आवेदक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि/ऋण अनुदान प्राप्त नही किया गया है।

..............(2)

4. नये निर्माण हेतु कम से कम 30 वर्ग मीटर कॉर्पेट एरिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
5. आवास के निर्माण अभिवृद्धि हेतु वर्तमान में निर्माण 21 वर्ग मीटर से कम होने व अभिवृद्धि 30 वर्ग मीटर तक के लिए ही अनुदान देय है।
6. इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किये गये आवास, परिवार के महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए
7. केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।
8. प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति भू–चिह्नित (जियो–टैग्ड) की जाकर समस्त जानकारी MIS पर डालने के पश्चात् ही केन्द्र सरकार द्वारा अगली किश्त जारी की जायेगी।
9. अन्तिम किश्त निर्माण पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जायेगी। अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थी को आवेदन करना होगा।
10. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त सबंधित निकाय/न्यास द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान राशि प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना की अनूसूची – 7 सी (प्रारूप संलग्न) में प्रस्ताव राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी (रूडसिको) को प्रेषित किये जायेगें।
11. राज्यस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रिय सैक्संनिग एवं मॉनेटरिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगें।
12. अनुमोदन पश्चात् अनुदान राशि राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थि के खाता में 3 या 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।

*****

प्रारूप–I

प्रधानमंत्री आवास योजना

(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना)

अनुदान हेतु आवेदन – पत्र

नगर निगम / परिषद / पालिका : .... वार्ड संख्या : ....

शहर : ....

जिला : ....

1. आवेदक का नाम श्री / श्रीमती / सुश्री : ....
2. पिता / पति का नाम श्री : .... आयु : ....
3. जाति (सामान्य / एस.सी / एस.टी. / ओ.बी.सी. / अल्पसंख्यक / अन्य) : ....
4. पूर्ण पता :–
   (i) वर्तमान पता : ....
   (ii) स्थायी पता : ....
5. भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण / अभिवृद्धि प्रस्तावित है :–
   (i) भूखण्ड संख्या, स्कीम का नाम, भूखण्ड कहां स्थित है : ....
   (ii) भूखण्ड का माप / क्षेत्रफल : ....
   (iii) भूखण्ड रिक्त है (हॉ या नहीं) : ....
   (iv) यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित है तो निर्मित कुल क्षेत्रफल : ....
   (a) प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : ....
   (b) द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल : ....
   (v) भूखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है (हॉ या नहीं) : ....
   (पट्टे की प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय : ....
   (स्व घोषणा पत्र संलग्न करें)
7. आवेदक का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें) : ....
8. आवेदक का स्थायी फोन / मोबाईल नं. : ....
9. अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण / आवास वृद्धि) : ....
10. क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है : (हॉ या नहीं) : ....
    (यदि हॉ तो विवरण संलग्न करें)
11. प्रस्तावित निर्माण विवरण :–
    (i) नवीन निर्माण क्षेत्रफल : .... वर्गफुट
    (ii) वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल) : .... वर्गफट
    (iii) प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल की अनुमानित लागत : .... रूपये
12. मकान संख्या .... वर्ग ....
13. आधार नम्बर : ....
14. प्रार्थी का दूरभाष नं. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure 7C

(Para 14.5 of the Guidelines)

Format for Projects under Beneficiary led Construction or Enhancement

1	Name of the State	:							
2	Name of the City	:							
3	Project Name	:							
4	Project Code*	:							
5	State Level Nodal Agency	:							
6	Implementing Agency/ ULB	:							
7	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC)	:							
8	Project Cost (Rs. in Lakhs)	:							
9	No. of beneficiaries covered in the project	:	Gen	SC	ST	OBC	Total	Minority	
10	(i) No. of Beneficiaries (New Construction)	:							
	(ii) No. of Beneficiaries (Enhancement)	:							
11	Whether beneficiary have been selected as per PMAY guidelines? (Yes/No)	:							
12	Whether it has been ensured that selected beneficiaries have rightful ownership of the land	:							
13	Whether building plan for all houses have been approved	:							
14	i) GoI grant required (Rs. 1.5 lakh per eligible beneficiary) (Rs. in Lakhs)	:							
	ii) State grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iii) ULB grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iv) Beneficiary Share (Rs. in Lakhs)	:							
	v) Total (Rs. in Lakhs)	:							
15	Whether technical specification/ design for housing have been ensured as per Indian Standards/NBC/ State norms?	:							
16	Whether it has been ensured that balance cost of construction is tied up with State grant, ULB grant & beneficiary share?	:							
17	Whether trunk and line infrastructure is existing or being provisioned	:							
	i) Water Supply (Yes/No)								
	ii) Sewerage (Yes/No)								
	iii) Road (Yes/No)								
	iv) Storm water Drain (Yes/No)								
	v) External Electrification (Yes/No)								
	vi) Solid Waste management (Yes/No)								
	vii) Any Other, specify								
	viii) In case, any infrastructure has not been proposed, reasons thereof								
18	Whether disaster (earthquake, flood, cyclone, landslide etc.) resistant features have been adopted in concept, design and implementation?	:							
19	Whether Demand Survey Completed for entire city?	:							
20	Whether City-wide integrated project have been formulated? If not, reasons thereof.	:							
21	Whether validation with SECC data for housing conditions conducted?	:							

22	Whether Direct Benefit Transfer (DBT) of fund to individual bank account of beneficiary ensured in the project?		
23	Whether there is provision in DPR for tracking/ monitoring the progress of individual houses through geo-tagged photographs	:	
24	Whether any innovative/cost effective/ Green technology adopted in the project	:	
25	Comments of SLAC after techno economic appraisal of DPR	:	
26	Brief of project, including any other information ULB/ State would like to furnish	:	

*State will give code number to each project sanctioned under PMAY-HFA(U) as 'ABCDEFGHIJKLM'
(Where, 'AB' is State Code as per census, 'CDEFGH' is City Code as per census, 'IJ' is running number of project of the city and 'K'
is project component code i.e. 'K' will be 1 - for In-situ slum development, 2- for Relocation, 3 – for AHP and 4 – for beneficiary Led
Construction or enhancement). 'L' will be N-for New, R – for Revised. 'M' will be running number which will be 0 for new and 1 and
so on for revisions

It is hereby confirmed that State/UT and ULB have checked all the beneficiaries as per guidelines of PMAY-HFA(U). It is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) component of the Mission

Signature
(State Level Nodal Officer)

Signature
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

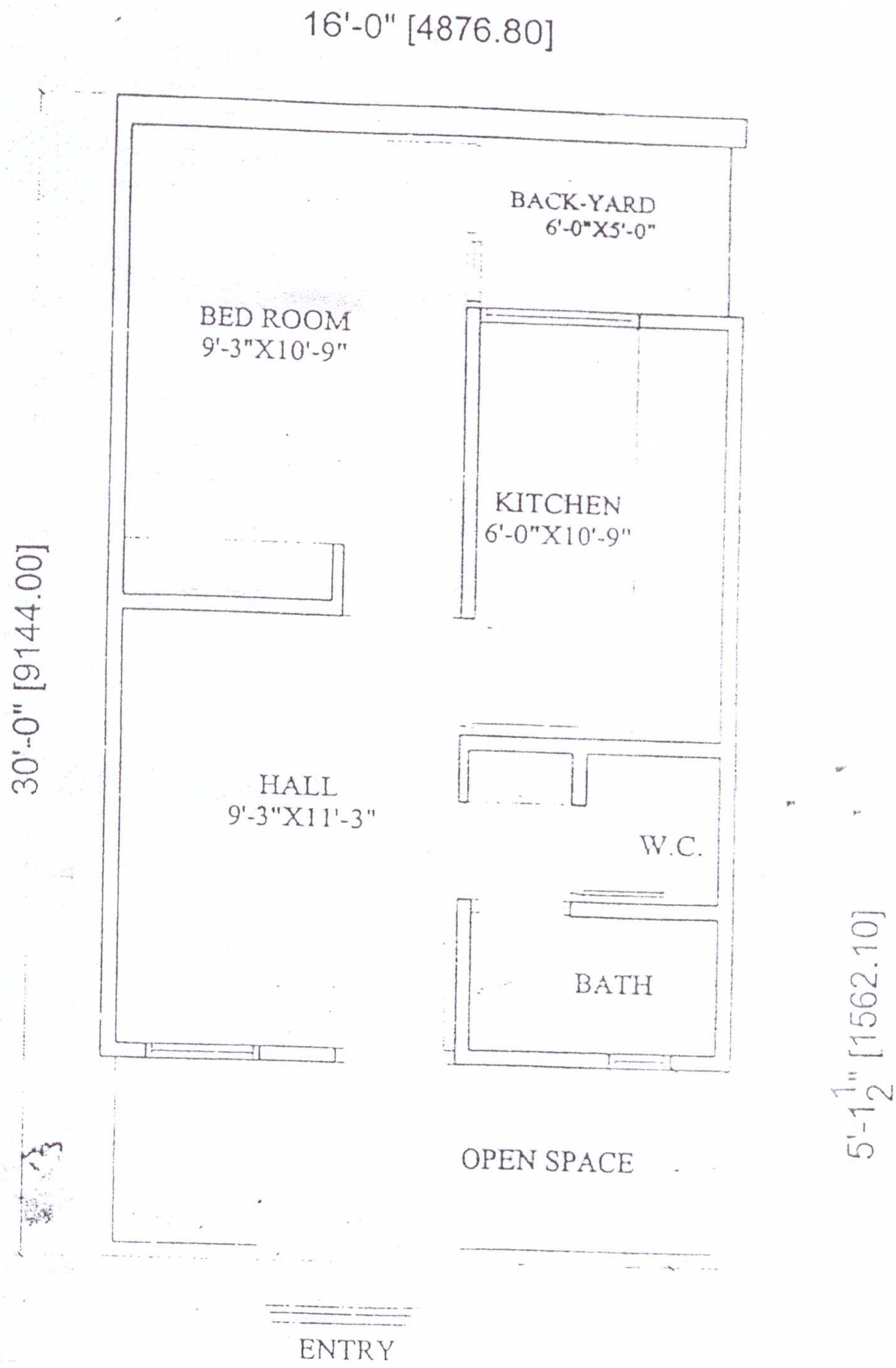

TYPICAL LAYOUT OF "EWS" UNIT
(Under BLIC vertical of PMAY)